



UPGK010090632026

न्यायालय: जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

सिविल प्रकीर्ण वाद संख्या-97/2026

दीनानाथ वगैरह बनाम बृजकिशोर आदि

दिनांक: 21.07.2026

यह अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा- 24 के अन्तर्गत आवेदक की ओर से इजरा वाद सं०-02/2023 दीनानाथ वगैरह बनाम बृजकिशोर आदि तथा प्रकीर्ण वाद सं०-200/2024 बृजकिशोर आदि बनाम दीनानाथ वगैरह एवं प्रकीर्ण वाद सं०-205/2024 बृजकिशोर आदि बनाम दीनानाथ वगैरह की पत्रावलियां, जो प्रशासनिक आदेश से भिन्न-भिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, को प्रार्थना-पत्र में वर्णित आधारों पर किसी एक न्यायालय में अन्तरित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र 4 ग मय शपथ-पत्र में आवेदक का मुख्य रूप से यह कथन है कि चूंकि प्रकीर्ण वाद एवं इजरा एक ही साथ निर्णीत होने हैं। उपरोक्त आधार पर उक्त तीनों पत्रावलियों को किसी एक ही न्यायालय में अन्तरित किये जाने का निवेदन किया गया है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सम्बन्ध में सम्बन्धित न्यायालयों से आख्या आहूत की गयी। न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट सं०-2, गोरखपुर के पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार प्रकीर्ण वाद सं०-200/2024 बृजकिशोर आदि बनाम दीनानाथ वगैरह एवं प्रकीर्ण वाद सं०-205/2024 बृजकिशोर आदि बनाम दीनानाथ वगैरह की पत्रावलियां उनके न्यायालय में विचारण हेतु लम्बित है। अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट सं०-12, गोरखपुर के पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत आख्या के अनुसार इजरा वाद सं०-02/2023 दीनानाथ वगैरह बनाम बृजकिशोर आदि की पत्रावली से सम्बन्धित स्कल्टन पत्रावली उनके न्यायालय में लम्बित है।

अन्तरण प्रार्थना-पत्र पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 4 ग स्वीकार किया जाता है। इजरा वाद सं०-02/2023 दीनानाथ वगैरह बनाम बृजकिशोर आदि की पत्रावली को अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट सं०-12, गोरखपुर के न्यायालय से वापस लेकर विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कोर्ट सं०-2, गोरखपुर के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)

जनपद न्यायाधीश, गोरखपुर।

J.O. Code-UP1889